फर्द अहकाम

नाम न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामू उर्फ रामदेव बनाम प्रकाश चन्द वगै0

संख्या : प्रा0प0 अ.नि. 09/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
13.01.2022	पत्रावली प्रस्तुत। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित एवं अंतरिम स्थगन आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में उभयपक्ष को आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादग्रस्त वर्णित भूमि खाता सं. 24 खसरा नम्बर 243 रकबा 0.6100 हैक्टेयर खसरा नं. 246/518 रकबा 0.0200 हैक्टेयर खसरा नं. 246/519 रकबा 0.0300 है0 खसरा नं. 250 रकबा 0.5000 है0 खसरा नं. 251 रकबा 0.5400 है0 खसरा नं. 254/445 रकबा 0.0200 है0 स्थित वाके राजस्व लालगढ पटवार हल्का जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर में विशिष्ट भू–भाग का बेचान ना करे व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस बाबत अप्रार्थीगण को सूचनापत्र/नोटिस जरिए पंजीकृत डाक से प्रेषित करें। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 23.02.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर	Regd नोटिस 131-143 13/1/2022
23.2.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रामदेव स्वयं उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद विड्रोल के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अत: मूलवाद [illegible] विड्रोल के आधार पर [illegible] किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	रामदेव Indication [illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:02:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner